संख्या-9/2019/334/77-3-2019-15बजट/18

प्रेषक,

अनिल कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जालौन।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 08 मार्च, 2019

विषय-उ0प्र0 में डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना से आच्छादित जनपदों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि में से रू0 30.00 करोड़ की धनराशि भूमि अधिग्रहण/क्रय हेतु स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक-5595/यूपीडा/992, दिनांक 30.01.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक ''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-08-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना-24-वृहद निर्माण कार्य''के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 करोड में से प्री-फिजीबिलटी सलाहाकार को भुगतान हेतु शासनादेश सं0-02/2019/3693/77-3-2019-15बजट/18 दिनांक 10.01.2019 द्वारा रू0 1.76 करोड तथा भूमि अधिग्रहण/क्रय हेतु शासनादेश सं0-01/2019/71/77-3-2019-15बजट/18 दिनांक 10.01.2019 द्वारा रू0 430.31 करोड की धनराशि स्वीकृत की गई है। अवशेष धनराशि में से भूमि क्रय मद में जनपद जालौन को भूमि अधिग्रहण/क्रय हेतु धनराशि रू0 30.00 करोड (रू0 तीस करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) धनराशि आहरित करके संबंधित जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी।
(2) उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।
(3) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाये। अतः जिलाधिकारी से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट कर लेंगे।
(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनाशि स्वीकृत की जा रही है।

(7) किसी भी परिस्थिति में धनराशि को आहरित कर बैंक/पी0एल0ए0 खाते में नहीं रखा जायेगा।

3. उपर्युक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 30.00 करोड़ (रूपये तीस करोड़ मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक ''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-08-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना-24-वृहद निर्माण कार्य''के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अ0शा0 संख्या-ई-6-147/दस-19 दिनांक 08.03.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

अनिल कुमार
उप सचिव

संख्या-9/2019/334(1)/77-3-2019, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जालौन ।
5. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।